HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous IInd Bail Application No. 6568/2023

Suresh Kumar S/o Mangilal, Aged About 32 Years, R/o Achalpur, District Jalore, Rajasthan - 343041

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Salman Khurshid, Sr. Advocate, Assisted by Mr. Abhishek Sonkar Ms. Sommya Chaturvedi Mr. Ramesh Kumar Mr. Raj Singh Bhati
For Respondent(s)	:	Mr. Anil Joshi, GA-cum-AAG with Mr. Rajat Chhaparwal, AAAG Mr. Pallav Sharma, AAAG

HON'BLE MR. JUSTICE MADAN GOPAL VYAS

Order

Date of Order: 31/07/2023

प्रार्थी अभियुक्त **सुरेश कुमार** की ओर से यह द्वितीय अग्रिम जमानत आवेदन धारा 438 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन पुलिस थाना बेकरिया, जिला उदयपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 227/2022, अपराध अन्तर्गत धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120बी भारतीय दंड संहिता एवं धारा 3, 6, 9, 10 राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 के मामले में प्रस्तुत हुआ है।

02. प्रार्थी अभियुक्त सुरेश कुमार की ओर से प्रस्तुत प्रथम अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र संख्या 3363/2023 इस न्यायालय के आदेश दिनांक 28.04.2023 के द्वारा खारिज किया गया।

03. इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.04.2023 के विरुद्ध प्रार्थी अभियुक्त ने माननीय उच्चतम न्यायालय में Special Leave to Appeal (Crl.) No(s). 6222/2023 प्रस्तुत की, जिसमे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 18.05.2023 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :–

> "Learned counsel seeks liberty to approach the High Court in view of the order which, according to him, erroneously contends that the petitioner is involved in five other cases.
>
> Liberty granted.
>
> In the event of petitioner not succeeding, all rights and contentions, including his right to approach this court are reserved.
>
> The special leave petition is disposed of in the above terms.
>
> Pending applications, if any, are disposed of."

तत्पश्चात् प्रार्थी अभियुक्त की ओर से यह द्वितीय अग्रिम जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया गया।

04. माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 29.05.2023 को योग्य अतिरिक्त राजकीय महाधिवक्ता को निर्देशित किया गया कि प्रार्थी अभियुक्त सुरेश कुमार के विरुद्ध लंबित प्रकरणों की सूची अन्वेषण अधिकारी के शपथ पत्र सहित प्रस्तुत करें। दिनांक 13.06.2023 को योग्य अतिरिक्त महाधिवक्ता ने Additional Affidavit on behalf of Investigating Officer व Copy of list of criminal cases प्रस्तुत किए, जिनकी प्रति योग्य अधिवक्ता प्रार्थी अभियुक्त को उपलब्ध करवाई गई। योग्य अधिवक्ता प्रार्थी अभियुक्त ने जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा। दिनांक 14.07.2023 को योग्य अतिरिक्त महाधिवक्ता ने प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध पंजीबद्ध प्रकरणों के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें प्रार्थी

अभियुक्त के विरुद्ध प्रकरण संख्या 556/2022, धारा 419, 420, 120-B भारतीय दंड संहिता एवं धारा 3, 6, 9 व 10 राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 पुलिस थाना सविना, जिला उदयपुर में एक अन्य अतिरिक्त प्रकरण पंजीबद्ध होना अंकित किया एवं इस प्रकरण के संबंध में भी शपथ पत्र प्रस्तुत करना चाहा। उस दिन योग्य अतिरिक्त महाधिवक्ता को निर्देशित किया गया कि प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध लंबित समस्त प्रकरणों के पूर्ण विवरण का उल्लेख करते हुए शपथ पत्र प्रस्तुत करें। दिनांक 20.07.2023 को योग्य अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अन्वेषण अधिकारी श्री लाखन सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एस.ओ.जी., जयपुर का एक अतिरिक्त शपथ पत्र प्रस्तुत किया, जिसकी प्रति प्रार्थी अभियुक्त की ओर से उपस्थित योग्य अधिवक्ता को दिलवाई गई।

05. मैंने योग्य अधिवक्ता प्रार्थी अभियुक्त व योग्य अतिरिक्त महाधिवक्ता की बहस सुनी एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

06. योग्य अधिवक्ता प्रार्थी अभियुक्त ने तर्क दिया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 67/2009 पुलिस थाना सांचौर, जिला जालोर का प्रकरण पेपर लीक से संबंधित नहीं था और इस प्रकरण में अभियुक्त को संबंधित न्यायालय द्वारा दिनांक 12.04.2022 को दोषमुक्त घोषित किया जा चुका है।

07. प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 136/2022 (राजस्थान उच्च न्यायालय में कनिष्ठ लिपिक भर्ती परीक्षा से संबंधित), पुलिस थाना कोतवाली, जिला दौसा में प्रार्थी अभियुक्त का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट व आरोप पत्र में नहीं है। इस प्रकरण से प्रार्थी अभियुक्त का कोई संबंध नहीं है।

08. अन्य प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 540/2020, पुलिस थाना सांगानेर, जिला जयपुर (पूर्व) व प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 556/2022, पुलिस थाना सविना, जिला उदयपुर में प्रार्थी अभियुक्त का प्रथम सूचना रिपोर्ट व आरोप पत्र में नाम नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 556/2022, पुलिस थाना सविना, जिला उदयपुर में प्रार्थी अभियुक्त से कोई बरामदगी नहीं हुई है,

यह प्रकरण परीक्षा में Dummy Candidate के उपस्थित होने से संबंधित है, जिसमें प्रार्थी अभियुक्त की कोई भूमिका नहीं है।

09. इन सभी प्रकरणों में अन्वेषण अधिकारी, प्रार्थी अभियुक्त को मिथ्या रूप से लिप्त करने का प्रयास कर रहा है। प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 540/2020, पुलिस थाना सांगानेर, जिला जयपुर (पूर्व) में सह–अभियुक्त भूपेंद्र सारण के कथनों के आधार पर प्रार्थी अभियुक्त को लिप्त किया जा रहा है, लेकिन भूपेंद्र का कथन साक्ष्य अधिनियम के अधीन अग्राह्य है।

10. प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 19/2022, पुलिस थाना स्पेशल पुलिस स्टेशन (एस.ओ.जी.), जयपुर में प्रार्थी का नाम नहीं है। संबंधित भर्ती परीक्षा (CHO) का परिणाम जारी हो चुका है और संबंधित विभाग ने पेपर लीक होना नहीं माना है।

11. प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 227/2022 पुलिस थाना बेकरिया, जिला उदयपुर व प्रकरण संख्या 747/2022, पुलिस थाना सुखेर, जिला उदयपुर, दोनों एक ही परीक्षा से संबंधित प्रकरण हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 227/2022, पुलिस थाना बेकरिया, जिला उदयपुर में आक्षेपित मोबाइल नंबर 8291672539 प्रार्थी अभियुक्त से संबंधित नहीं है। इस मोबाइल के संबंध में कोई फोरेंसिक लेबोरेट्री की रिपोर्ट नहीं है। उक्त मोबाइल नंबर प्रार्थी अभियुक्त का होने संबंधी आक्षेप अभियुक्त पर मिथ्या रूप से लगाया जा रहा है। सह–अभियुक्तगण भूपेन्द्र सारण व रामगोपाल के Disclosure Statement में प्रार्थी अभियुक्त का नाम नहीं है। किसी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ने यह कथन नहीं किया है कि प्रार्थी अभियुक्त पेपर लीक के घटनास्थल पर उपस्थित हो। प्रार्थी अभियुक्त पेपर लीक करवाने की बस में भी उपस्थित नहीं था। एक सह–अभियुक्त के कथन के आधार पर प्रार्थी अभियुक्त को इस प्रकरण में लिप्त किया जा रहा है। प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं है। प्रार्थी अभियुक्त से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई है। इस प्रकरण में आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है, जिसमें प्रार्थी अभियुक्त का नाम नहीं है।

12. योग्य अधिवक्ता प्रार्थी अभियुक्त ने यह भी तर्क दिया कि पुलिस ने प्रार्थी अभियुक्त के मोबाइल नंबर 8291672539 से लोकेशन, व्हॉट्सएप कॉल, चैट आदि से करीब एक साल से लगातार अन्य अभियुक्तगण सम्पर्क में रहना बताया है, जो बिल्कुल गलत है। उक्त मोबाइल नंबर प्रार्थी अभियुक्त सुरेश कुमार का नहीं है। प्रार्थी अभियुक्त की प्रकरण में किसी प्रकार की संलिप्तता नहीं होने के संबंध में प्रार्थी ने अपर सेशन न्यायालय संख्या 01, उदयपुर के समक्ष धारा 91 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो दिनांक 24.04.2023 को खारिज किया गया, जिसके विरुद्ध प्रार्थी अभियुक्त ने उच्च न्यायालय में CRLR 771/2023 प्रस्तुत की हुई है।

13. योग्य अधिवक्ता प्रार्थी अभियुक्त ने यह भी तर्क दिया कि प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं है। प्रार्थी अभियुक्त को हस्तगत प्रकरण से संबद्ध करने का एकमात्र आधार सह–अभियुक्त भूपेंद्र सारण का Disclosure Statement दिनांक 26.02.2023 है, जो साक्ष्य में अग्राह्य है। सह–अभियुक्त भूपेंद्र के Disclosure Statement दिनांक 26.02.2023 व फर्द तस्दीक दिनांक 01.03.2023 में विरोधाभास है। सह–अभियुक्त भूपेंद्र सारण द्वारा प्रार्थी अभियुक्त को पेपर देने की कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। कथित बस व होटल हिमांशी से प्रार्थी अभियुक्त का कोई संबंध नहीं है। कथित फोन प्रार्थी अभियुक्त का नहीं है। फर्द विश्लेषण दिनांक 28.01.2023 में प्रार्थी के मोबाइल नंबर का उल्लेख नहीं है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी अभियुक्त को संलिप्त करने की Linkage की Missing है। प्रार्थी अभियुक्त से अभिरक्षात्मक अन्वेषण की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी अभियुक्त अन्वेषण में पूर्ण सहयोग करने को तैयार है। अतः ऐसी परिस्थितियों में प्रार्थी अभियुक्त सुरेश कुमार को अग्रिम जमानत का लाभ दिए जाने का निवेदन किया। उन्होंने अपने इन तर्कों की पुष्टि में **2020 (SC) CANDID 288: Prabhakar Tewari Versus State of U.P. & Anr.** की नजीर पेश की, जिसका मैंने अवलोकन किया।

14. इसके विपरीत योग्य अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया और यह तर्क दिया कि Annexure-R/1 (पेपर बुक

के पृष्ठ संख्या 651) के अनुसार प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध कुल 06 प्रकरण विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित विभिन्न थानों में राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, 1992 व राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 के अधीन पंजीबद्ध प्रकरणों में धारा 173(8) दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन अन्वेषण लंबित है। सदोष परिरोध व मारपीट से संबंधित प्रकरण में प्रार्थी अभियुक्त को दिनांक 12.04.2022 को दोषमुक्त किया जा चुका है।

15. योग्य अतिरिक्त महाधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि प्रार्थी अभियुक्त सुरेश कुमार ने सह–अभियुक्त भूपेंद्र सारण से पेपर प्राप्त कर सह–अभियुक्त सुरेश साऊ को उपलब्ध कराने पर सुरेश साऊ द्वारा सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से पेपर सह–अभियुक्त पुखराज को भेजा और सह–अभियुक्त पुखराज द्वारा पेपर प्रिंट कर सह–अभियुक्त पीराराम को दिया और अभियुक्त पीराराम द्वारा अभ्यर्थियों को पेपर उपलब्ध करवाया गया। अभियुक्त सुरेश की Call Details का विश्लेषण करने पर पाया कि सह–अभियुक्त पीराराम, पुखराज और अन्य अभियुक्तगण लगातार WhatsApp Call व Chat पर संपर्क में थे। अभियुक्त की गिरफ्तारी के पश्चात् अन्वेषण करना शेष है। अभियुक्त कोचिंग सेंटर चलाता है। पेपर लीक का एक बहुत बड़ा गिरोह सक्रिय है, जिसके बारे में गहन एवं विस्तृत अन्वेषण करना है। प्रार्थी अभियुक्त से अभिरक्षात्मक अन्वेषण की आवश्यकता है।

16. योग्य अतिरिक्त महाधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि अभियुक्त वर्तमान में फरार है और अभियुक्त पर राजस्थान सरकार द्वारा एक लाख रुपये का ईनाम घोषित किया हुआ है। अभियुक्त पेपर लीक गिरोह का सरगना है। सह–अभियुक्त भूपेंद्र व अनिल के Disclosure Statement में अभियुक्त का नाम है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी अभियुक्त नामजद आरोपी है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी अभियुक्त मुख्य अभियुक्त है। सह–अभियुक्तगण का नियमित जमानत प्रार्थना–पत्र धारा 439 दंड प्रक्रिया संहिता इस न्यायालय द्वारा खारिज किए गए हैं। अतः ऐसी परिस्थितियों में प्रार्थी अभियुक्त का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

17. मैंने उपर्युक्त परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया। पुलिस की तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार अब तक के अनुसंधान से प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120बी भारतीय दंड संहिता एवं धारा 3, 6, 9, 10 राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 का आरोप साबित पाया गया है।

18. जहां तक प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 से संबंधित प्रकरणों में लिप्त होने का प्रश्न है, इस संबंध में अन्वेषण अधिकारी श्री लाखन सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एस.ओ.जी., जयपुर ने अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया है और प्रत्येक प्रकरण के संबंध में शपथ पत्र में विवरण अंकित किया है। शपथ पत्र में प्रार्थी अभियुक्त सुरेश कुमार के आपराधिक रिकॉर्ड की सूची Annexure-R/1 प्रस्तुत की है, जो निम्नलिखित हैं :—

क्र.सं.	प्रकरण संख्या मय धारा	नाम थाना	चालान/एफआर/पेण्डिग	रिमार्क
1.	67/2009 दिनांक 03.03.2009 धारा 143, 341, 323 भा.दं.सं.	पुलिस थाना सांचोर, जिला जालोर	चार्जशीट नं. 34/15.03.2009	दोषमुक्त 12.04.2022
2.	227/22 दिनांक 25.12.2022 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 482, 120बी भा.दं.सं., धारा 3, 6, 9, 10 राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, 2022	पुलिस थाना बेकरिया, जिला उदयपुर	धारा 173(8) सीआरपीसी में अनुसंधान लम्बित	—
3.	747/22 दिनांक 25.12.2022 धारा 419, 420, 120बी भा.दं.सं., धारा 3, 6, 9, 10 राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, 2022	पुलिस थाना सुखेर, जिला उदयपुर	धारा 173(8) सीआरपीसी में अनुसंधान लम्बित	—
4.	19/22 दिनांक 13.06.2022 धारा 420, 120बी भा.दं.सं., धारा 4/6 राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, 1992	पुलिस थाना एस.ओ. जी., राजस्थान, जयपुर	धारा 173(8) सीआरपीसी में अनुसंधान लम्बित	—
5.	136/22 दिनांक 13.03.2022 धारा 420, 120बी भा.दं.सं., धारा 3, 4/6 राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, 1992	पुलिस थाना कोतवाली, दौसा	धारा 173(8) सीआरपीसी में अनुसंधान लम्बित	—
6.	540/20 दिनांक 09.12.2020 धारा 420, 120बी भा.दं.सं., धारा 4/6 राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, 1992	पुलिस थाना सांगानेर, जिला जयपुर (पूर्व)	धारा 173(8) सीआरपीसी में अनुसंधान लम्बित	—
7.	556/2022 दिनांक 21.12.2022 धारा 419, 420, 120बी भा.दं.सं., धारा 3, 6, 9, 10 राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, 2022	पुलिस थाना सविना, जिला उदयपुर	धारा 173(8) सीआरपीसी में अनुसंधान लम्बित	—

19. उपर्युक्त प्रकरणों के संबंध में जहां तक योग्य अधिवक्ता प्रार्थी अभियुक्त के इस तर्क का प्रश्न है कि उक्त प्रकरणों से संबंधित प्रथम सूचना

रिपोर्ट व आरोप पत्र में अभियुक्त नामित नहीं है और अभियुक्त को उपर्युक्त प्रकरणों में अन्वेषण अधिकारी द्वारा मिथ्या रूप से लिप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इस संबंध में इस प्रक्रम पर अधिक विवेचन किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि अभियोजन के अनुसार उपर्युक्त प्रकरणों में प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध धारा 173(8) दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन अन्वेषण लंबित है।

20. प्रार्थी अभियुक्त की हस्तगत प्रकरण में संलिप्तता के बारे में तथ्यात्मक रिपोर्ट में प्रार्थी सुरेश ढाका ने भूपेंद्र सारण से पेपर प्राप्त कर आरोपी सुरेश साऊ को उपलब्ध करवाने और अभियुक्त सुरेश साऊ द्वारा सोशल मीडिया व अन्य माध्यम से पुखराज को भेजा और फिर पुखराज द्वारा प्रिंट कर अभ्यर्थियों को उपलब्ध करवाने का आक्षेप है। इसके अतिरिक्त अभियुक्त सुरेश बिश्नोई द्वारा भूपेंद्र सारण, सुरेश ढाका, पीराराम, पुखराज व अन्य से आपस में संपर्क कर द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के सामान्य ज्ञान का प्रश्नपत्र, परीक्षा से पूर्व अभ्यर्थियों को उपलब्ध करवाने के संबंध में सभी आरोपीगण की आपस में वार्तालाप होने की FSL से प्राप्त रिकवर्ड डाटा में WhatsApp Calling, Chatting, Apple Face Time से पुष्टि होने का आक्षेप है।

21. प्रार्थी अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत उपर्युक्त नजीर **2020 (SC) CANDID 288: Prabhakar Tewari Versus State of U.P. & Anr.** का जहां तक प्रश्न है, इस नजीर में मुख्यतः यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि अभियुक्त के विरुद्ध कई प्रकरण लंबित हो तो यह अभियुक्त की जमानत की प्रार्थना को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता है, लेकिन हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी अभियुक्त की जमानत की प्रार्थना अस्वीकार करने का आधार केवल उसका आपराधिक अभिलेख नहीं है, बल्कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा, 2022 का पेपर परीक्षा से पूर्व लीक करने से संबंधित गंभीर आक्षेप हैं। ऐसे प्रकरण में अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना उचित एवं न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।

22. इस संबंध में Karnail Singh vs Union Terrirory of J&K and Another: Bail Application No. 10/2023, High Court of Jammu & Kashmir and Ladakh, Pronounced on 15.03.2023 में जम्मू व कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय द्वारा पैरा संख्या 14 में निम्नलिखित मत व्यक्त किया है :–

> " ... There can be no doubt about the fact that the petitioner is stated to be involved in offences which do not carry punishment of imprisonment of more than seven years but the nature of accusations against the petitioner makes the crime alleged to have been committed by him extremely heinous. The severity of punishment that the charge may entail may be one of the considerations for grant of bail, but then nature and seriousness of allegations against a person seeking bail is also of vital importance. A person, who indulges in facilitating leakage and sale of question papers relating to competitive examinations, plays with the career and future of thousands of young aspirants. Such an act is more heinous than an offence of murder because by killing a person only one family gets affected but by ruining the career of thousands of aspirants, whole society is adversely impacted. Therefore, the charges levelled against the petitioner can by no stretch of imagination be termed as ordinary charges."

23. किसी भी देश का भविष्य उसकी शिक्षा–व्यवस्था पर निर्भर करता है। शिक्षा के माध्यम से ही कोई समाज एवं देश प्रगति की ओर बढ़ता है, लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि शिक्षा के क्षेत्र की कई समस्याओं के समाधान की कोई राह नहीं दिख रही है। इन्हीं में से एक है प्रश्नपत्र लीक होने की समस्या। वर्तमान भारत के युवा ऊंचे लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। वे तमाम कठिनाइयों एवं अभावों से जूझते हुए कई वर्षों तक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। जब किसी प्रतियोगी परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक होता है तो परीक्षार्थियों के साथ परिजनों के भी सपनों को गहरा आघात पहुंचता है। ऐसी घटनाओं से एक उन्नत, समृद्ध, सुशिक्षित एवं सशक्त राष्ट्र व समाज बनने–बनाने का हमारा सामूहिक स्वप्न और मनोबल टूटता है। इससे युवाओं के भीतर व्यवस्था के प्रति असंतोष एवं निराशा की स्थायी भावना घर करती है।

24. महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र अगर परीक्षा से पहले लीक हो जाएं, तो सबसे ज्यादा कष्ट उन मेहनती परीक्षार्थियों और उम्मीद्वारों को होता है, जो प्रतिभा के बल पर किसी परीक्षा में अपनी योग्यता साबित करने का जतन करते हैं। एक प्रश्नपत्र का रद्द होना कई बार अभ्यर्थियों के भीतर असुरक्षा और अस्थिरता की भावना पैदा कर सकता है। पर्चा लीक का यह अनवरत सिलसिला परीक्षार्थियों को परीक्षा के लिए दुबारा तैयारी करने से लेकर आने–जाने और तमाम खर्चे उठाने का विकल्प छोड़ता है, जिसकी कोई भरपाई नहीं होती है। इन हादसों से लगे घाव गहरे होते हैं। छात्रों का आक्रोशित होना स्वाभाविक होता है, क्योंकि इससे उन्हें परीक्षा के लिए दुबारा मेहनत करने और पैसा खर्च करने की जरूरत होती है।

25. कुल मिलाकर उपर्युक्त विवेचन, प्रस्तुत तर्कों, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री, प्रकरण के तथ्यों–परिस्थितियों, आदि को दृष्टिगत रखते हुए, प्रकरण के गुणावगुण पर कोई विवेचन किए बिना प्रार्थी अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

26. परिणामतः प्रार्थी अभियुक्त सुरेश कुमार की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत का द्वितीय आवेदन अंतर्गत धारा 438 दंड प्रक्रिया संहिता खारिज किया जाता है।

(MADAN GOPAL VYAS),J

1-Rajendra/-

यह आदेश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 (i) के तहत भारत सरकार की अधिसूचना राजपत्र संख्या 1, दिनांक 2 जनवरी 1999 एवं राजस्थान राजपत्र दिनांकित 10.3.1971 के तहत हिन्दी भाषा के प्रयोग को प्राधिकृत किए जाने के परिणामस्वरूप हिन्दी भाषा में लिखाया गया। **जिसका कार्यालय द्वारा प्रदत्त अनुवादक से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करवा कर प्रमाणित प्रति जारी की जावें।**